

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 904वी बैठक दिनांक 27.10.2025 को श्री शिव नारायण सिंह चौहान, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफ्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में निम्नानुसार सदस्यों की उपस्थिति में सम्पन्न हुई :-

1. डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री. दीपक आर्य, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचि चत श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश निर्णय	प्राधिकरण का
1.	P2/1417/25	1(a)	धार	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	
2.	P2/1416/25	1(a)	उज्जैन	मुरुम, पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	
3.	P2/1415/25	1(a)	छतरपुर	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	
4.	P2/1414/25	1(a)	निवाड़ी	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	
5.	P2/1413/25	1(a)	छिन्दवाड़ा	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।	
6.	P2/720/24	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	
7.	P2/725/24	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	
8.	P2/731/24	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	
9.	P2/733/24	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	
10.	P2/719/24	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त	

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

11.	10912/2023	1(a)	होशंगाबाद	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
12.	P2/474/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
13.	P2/471/2024	1(a)	सिंगरौली	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
14.	P2/224/2024	1(a)	होशंगाबाद	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
15.	P2/379/2024	1(a)	ग्वालियर	रेत खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	4258/2015	5(a)	धार	Chemical Fertilizers	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
17.	10128/2023	1(a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
18.	P2/11/2024	8(a)	शहडोल	भवन निर्माण	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
19.	8492/2021	1(a)	टीकमगढ़	क्वार्टज खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी की जाये।
20.	9656/2023	1(a)	कटनी	डोलोमाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

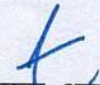
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

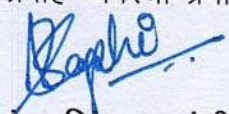
1. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/519024/2025, Case No P2/1417/2025 Prior Environment Clearance for Murrum Quarry (Opencast manual method), in an area 1.600 hect. For production capacity of 35,000 Cum Per Annum, at khasra no. 162, Village Kalyansikhedi, Tehsil Pithampur, District Dhar (MP) Shri Farhan Ali S/o Shri Kamar Ali Address: R/o Village- Bhatkhedi, Tehsil-Mahow, District- Indore (M.P.).**

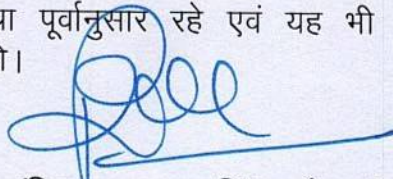
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के आदेश क्रमांक 2981 दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 25.11.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

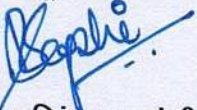

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

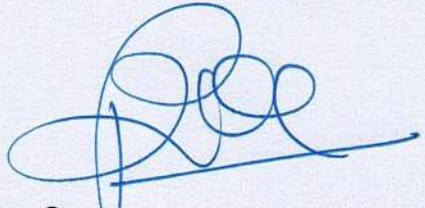
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक अर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

2. Proposal No.: SIA/MP/MIN/521498/2025, Case No P2/1416/2025 Prior Environment Clearance for Murrum & Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 4.00 ha., for production capacity of 107000 cum/year (Murrum – 27000 Cum per annum, Stone – 15,000 Cum per annum and M-sand – 65000 Cum per annum) at Khasra No. : 908/1, 908/2, 908/3, 903/2/1, 903/2/2, 906, 909/1, 909/2, 909/3/1, 909/3/2, 909/3/3, 909/4, Village Piplayarani, Tehsil Nagada, District Ujjain (MP) by M/s Sarvbandhu Minerals Partner , Partner:- Shri Manoj Kumar S/o Bhagwantsingh, Shri Anupsingh, Shri Yashanshu, R/o 370 N - Malwa County Bye pass Road Indore, District – Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 13.08.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 12.08.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से न्यूनतम 50 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

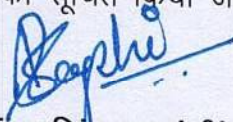
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

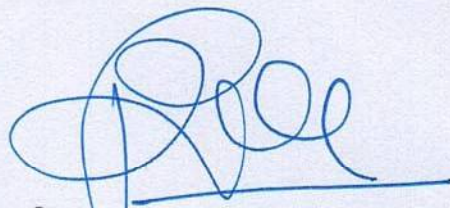
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मौ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

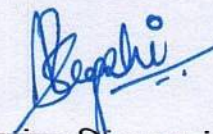
3. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/524636/2025, Case No P2/1415/2025 Prior Environment Clearance for Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 2.46 Hectare for production capacity of 20,000 cum/year, at Khasra No. 3943/1, 3943/6, in Village- Ghuwara, Tehsil - Ghuwara, District - Chhatarpur (M.P.) by Smt. Archana Sen, R/o 209, Ward No. 09, Budor Post, Tehsil Ghuwara, District Chhatarpur (MP).**

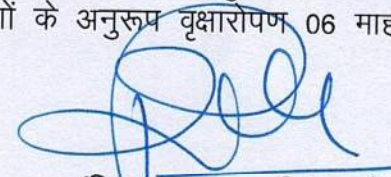
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के आदेश क्रमांक 2114 दिनांक 09.12.2024 के अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 08.12.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नहर से न्यूनतम 100 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

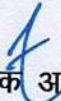

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

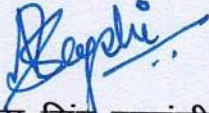

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

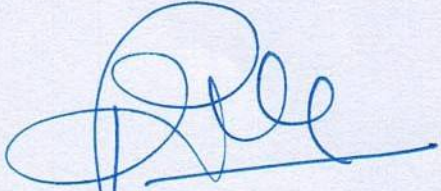
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

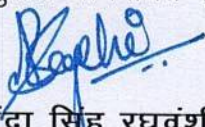
4. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/522114/2025, Case No P2/1414/2025 Prior Environment Clearance for Murum Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 3.400 Hectare, for production capacity of 40000 cum/year, at Khasra No. 627/2, in Village- Kuluaa Khas, Tehsil - Niwadi, District – Niwadi (M.P.) by M/s Shree Orchhadhish Properties & Construction, Kuluaa Khas Murum Quarry, Ward No. 05, Chitransh Colony, Niwari (M.P.).**

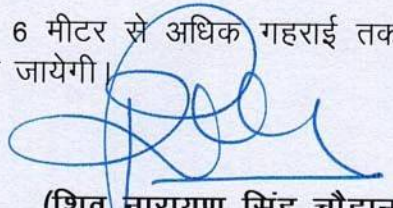
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला निवाड़ी के पत्र क्रमांक 275 दिनांक 16.07.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 15.07.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार लीज क्षेत्र के दक्षिण भाग में क्वार्टज रीफ क्षेत्र के दृष्टिगत 0.53 हे. क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

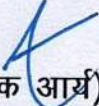

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

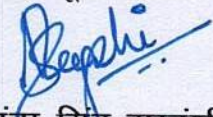

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

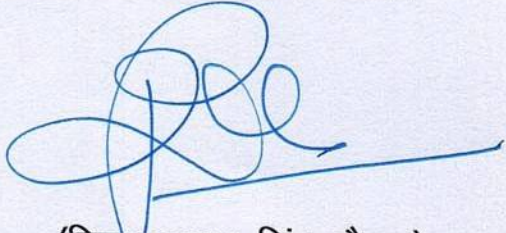
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव मारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

5. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/518369/2025, Case No P2/1413/2025 Prior Environment Clearance for Stone Quarry (Opencast semi mechanized method), in an area 1.00 Ha, for production capacity of 8026 cum/year, at Khasra No. 63/2, Village – Muarkala, Tehsil -Tamia District- Chhindwara (MP) by Shri Amit Batra, Muarkala Crusher Stone Quarry, Tamia Tehsil - Tamia District- Chhindwara (MP)**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल के आदेश क्रमांक 10842-43 दिनांक 01.10.2024 के माध्यम से 10 वर्ष की स्वीकृति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.09.2034 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले नाले से न्यूनतम 50 मीटर एवं पॉल्ड्री फार्म से न्यूनतम 100 मीटर तक नो माइनिंग जोन के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काट्टा नहीं जायेगा एवं उक्त वृक्षों का संरक्षण किया जायेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

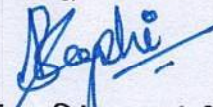
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मौ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर 01 वर्ष में पूर्ण किया जाए।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

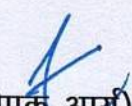
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

6. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520009/2025, Case No P2/720/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 4.00 hectare, for production capacity of 72000 cum per annum, at Khasra No.- 01, Village - Orgai, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

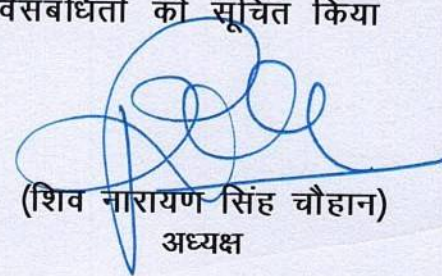
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 12/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 72,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 72,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 803वी बैठक दिनांक 19.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

7. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/520054/2025, Case No P2/725/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 4.00 hectare, for production capacity of 69300 cum per annum, at Khasra No.- 01, Village - Piprakurund-2, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

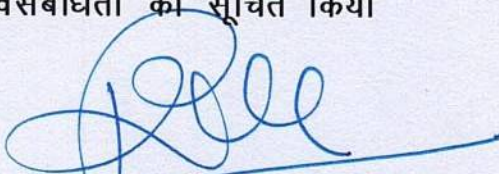
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 16/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 69300घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 69300 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

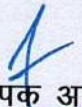
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

8. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519973/2025, Case No P2/731/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 4.00 hectare, for production capacity of 72000 cum per annum, at Khasra No.- 01, Village - Orgai -1, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

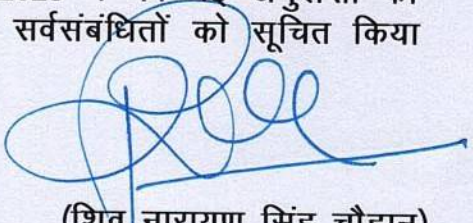
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रस्तावित रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 12/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 72,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 72,000घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

9. Proposal No.: SIA/MP/MIN/520033/2025, Case No P2/733/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 5.00 hectare, for production capacity of 90000 cum per annum, at Khasra No.- 413, Village - Harrahwaha, Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

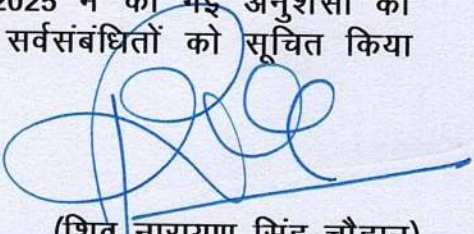
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रश्नाधीन रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 12/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 90,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 90,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

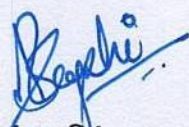
10. Proposal No.: SIA/MP/MIN/519978/2025, Case No P2/719/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 6.00 hectare, for production capacity of 72000 cum per annum, at Khasra No.- 54, Village - Rehi, Tehsil - Chitrangi, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.

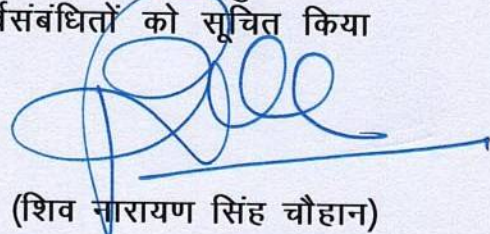
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ समिति द्वारा उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य प्रकरण के परीक्षण करने पर पाया कि प्रस्तावित रेत खदान की पर्यावरण स्वीकृति 12/05/2026 तक वैध है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेत खदान की पूर्व में 72,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई थी वर्तमान में रेत खदान की 72,000 घनमीटर/वर्ष की पर्यावरण स्वीकृति चाही गई है। ऐसी स्थिति में उसी मात्रा की पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण विचार योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

11. Proposal No.: SIA/MP/MIN/472599/2024, Case No 10912/2023 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 10.00 Hectare, for production capacity of 168000 cum/year, at Khasra No.- 01, Village - Kotra, Tehsil- Seoni-Malwa, District Hoshangabad (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माइन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmadapuram	Kotra	1	2021-22	10	1119.4	10	2.5	250000	2.8	280000	280000	168000	129778.72
			2022-23		1883.3	10	1.5	150000	2.8	280000	280000	168000	0
			2023-24		1256.1	10	2.8	280000	3	300000	300000	180000	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव मारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आशवासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव मारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

12. Proposal No.: SIA/MP/MIN/476955/2024, Case No P2/474/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 4.00 Hectare, for production capacity of 72000 cum/year, at Khasra No.- 01, Village - Kandopani , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, DistrictBhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Singrauli	Kandopani	1	2021-22	4	1440.5	4	1	40000	3	120000	120000	72000	71293.66
			2022-23		939	4	1.22	48800	2.85	114000	114000	68400	56888.12
			2023-24		985.9	4	1.43	57200	2.98	119200	119200	71520	29021.23

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (iii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

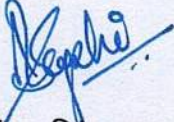
13. **Proposal No.: SIA/MP/MIN/476671/2024, Case No P2/471/2024 Prior Environment Clearance for Sand Quarry (Opencast manual method), in an area of 4.00 hectare, for production capacity of 42816 cum per annum, at Khasra No.- 78, Village - Naudhiya-2 , Tehsil - Singrauli, District - Singrauli (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Yodha Umare Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011.**

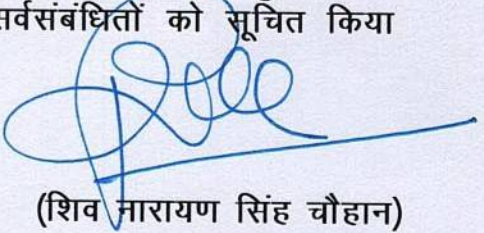
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

“ समिति ने प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया कि गूगल ईमेज के अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा में 305 मी. की दूरी पर एक पक्का रोडब्रिज (स्पान 243 मी.) स्थित है, सेंड माईनिंग गाईडलाईन वर्ष 2016 एवं 2020 के अनुसार रोडब्रिज के दोनो ओर निर्धारित दूरी छोड़ने पर लीज क्षेत्र खनन हेतु समाप्त हो जाता है, अतः ऐसी स्थिति में समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये अनुशंसा योग्य नहीं पाया गया है।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता एवं SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये प्रकरण निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

14. Proposal No.: SIA/MP/MIN/475505/2024, Case No P2/224/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 31.11 Hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 20.50 ha.), for production capacity of 369000 cum/year (as per SEAC recommendation), at Khasra No.- 207, Village – Bandrabhan-12,13,14, Tehsil - Hosangabad, District Hoshangabad (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Gopal Singh Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

बैठक के दौरान म.प्र. स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन के श्री जे.पी. श्रीवास्तव उप संचालक एवं श्री आशुतोष टेमले जनरल मैनेजर (माईन) अधिकारी प्रश्नाधीन प्रकरण में उपस्थित हुए और प्रकरण की 03 वर्ष की Replenishment Study प्रस्तुत की गई जो निम्नानुसार है:-

District	Name of the Mine	Khasra No.	Period of Replenishment Study	Sanctioned Area (Ha.)	Average Rainfall (mm) IMD	Mineral Potential area (Ha.)	Pre Monsoon		Post Monsoon		Sedimentation Volume (cum)	Mineable Sand Potential (Cum) 60% of total deposition	Mineral Extraction (Cum)
							Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)	Average Depth in mtr.	Total Sand Potential (Cum)			
Narmada puram	Bandrabhan 12 13 14	207	2021-22	31.11	1119.4	31.11	2.6	808860	3	933300	933300	559980	0
			2022-23		1883.3	31.11	3	933300	3.78	1175958	1175958	559980	0
			2023-24		1256.1	31.11	3.78	1175958	4.15	1291065	1291065	559980	0

उक्त Replenishment Study को परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा परियोजना प्रस्तावक की प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुये प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Replenishment Study डाटा को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के उपरांत एक सप्ताह के अंदर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जाये एवं यह भी बताया जावे कि उक्त Replenishment Study किस दिनांक को की गई एवं किसके द्वारा की गई है। यदि उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है अथवा किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो प्रकरण में जारी पर्यावरण स्वीकृति स्वमेव निरस्त हो जायेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन हेतु आवंटित कुल 31.11 हे. में से मात्र 20.50 हे. क्षेत्र में ही उत्खनन कार्य किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्राईवल शेड्यूलड क्षेत्र में पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की अनापत्ति/सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य आरंभ किया जायेगा एवं भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किया जाये। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण एवं सीईआर गतिविधियों/कार्यों के क्रियान्वयन संबंधित अधिरोपित शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित करते हुए ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का प्रत्येक छः माही अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, SEIAA, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण एवं संबंधित जिला कलेक्टर को अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जायें।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

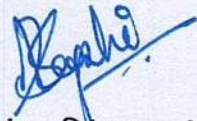
15. Proposal No.: SIA/MP/MIN/478123/2024, Case No P2/379/2024 Prior Environment Clearance for Sand Mine (Opencast manual method) in area of 18.770 Hectare (As per SEAC recommendation mineable area is 2.60 ha.), for production capacity of 10000 cum/year (as per SEAC recommendation), at Khasra No.- 855, Village – Babupur, Tehsil - Pichhore Or Dabra, District - Gwalior (MP) by The MP State Mining Corporation Limited, Shri Arun Sharma Authorized Person, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District Bhopal (MP)-462011.

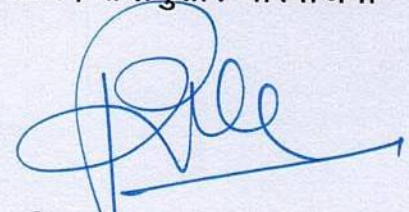
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 802वी बैठक दिनांक 17.06.2025 एवं 763वी बैठक दिनांक 03.06.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण का अवलोकन करने पर निम्नानुसार स्थिति पाई गई :-

*परियोजना प्रस्तावक द्वारा परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल ईमेज के अनुसार उक्त खदान क्षेत्र का अधिकांश भाग पूरे वर्ष जलमग्न होना परिलक्षित है, जिस कारण उक्त खदान से रेत का खनन किया जाना संभव नहीं है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

16. Proposal No.: SIA/MP/IND3/463489/2024, Case No.4258/2015 Shri Subhash Garg, Director, M/s Saalasar Phos Chem Private Limited, B-01, Aditya Vihar Colony, Mhow - Neemuch Road, Mandsaur, Distt.-Mandsaur (M.P.) 458001. Prior Environment Clearance for Transfer of Environment Clearance from M/s Indra Industries Limited to M/s Saalasar Phos Chem Pvt. Ltd. for Chemical Fertilizers SSP/GSSP Fertilizer at Khasra no. 2132/8, 2131/1, 2132/1/2/1, 2132/5, 2132/1/13, Village -Sandla, Tehsil Badnawar, District Dhar(M.P.), Total Land Area- 2.3585 ha.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 755वी बैठक दिनांक 21.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित Transfer of EC हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी। उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण प्राधिकरण की बैठक 863-B दिनांक 10.06.2024 में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण को राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की बैठक 863 वीं दिनांक 10.06.24—में विचारार्थ रखा गया तथा निम्नानुसार निर्णित किया गया :-

"मेसर्स इंद्रा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा ईमेल के माध्यम से पत्र दिनांक 18/03/2024 से शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नवीन परियोजना प्रस्तावक ने ऑन लाइन परिवेश पोर्टल 2.0 पर प्रस्ताव संख्या SIA/MP/IND3/463489/2024 के माध्यम से पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए आवेदन किया है। उक्त आवेदन के सम्बन्ध में पूर्व परियोजना प्रस्तावक द्वारा सूचित किया गया था कि मेसर्स सालासर फॉस केम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री सुभाष गर्ग ने 1.0 करोड़ से अधिक जीएसटी राशि का न तो भुगतान किया है और न ही भुगतान किया है, जिससे सरकार को राजस्व और राजकोष का भारी नुकसान हुआ है। उनके द्वारा गलत एनओसी संलग्न की गई है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया की दोनों (पूर्व परियोजना प्रस्तावक एवं नवीन परियोजना प्रस्तावक) स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हेतु निर्देशित किया गया था।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त चाही गई जानकारी के संबंध में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर ADS दिनांक 12.08.2025 को प्रस्तुत किया गया।

प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्रस्तावक के परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत निम्नानुसार पाया गया :-

1. परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के CAF फार्म के बिंदु क्र. 1.2 पर प्रस्तावित परियोजना का Expansion हेतु आवेदन किया गया है। जबकि परियोजना प्रकरण प्रस्ताव पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु SEAC द्वारा अनुशंसित है।
2. परिवेश पोर्टल के फार्म 07 के बिंदु क्र 2.4.1 में परियोजना प्रस्तावक का पंजीकृत पते की जानकारी अंकित किये जाने के स्थान पर खसरा नम्बर अंकित किये गये हैं।
3. प्रकरण में प्राप्त शिकायत अनुसार प्राधिकरण द्वारा 863-बी बैठक दिनांक 10.06.2025 में लंबित जी.एस. टी. राशि की के भुगतान जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। जबकि उक्त शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता का स्पष्टीकरण दिनांक 30.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त हो गया था तो प्राधिकरण की बैठक दिनांक 10.06.2024 में प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

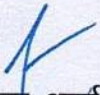
(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

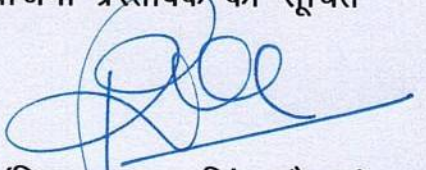
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

4. ADS Reply के साथ संलग्न ईको ऑर्बिट फर्म द्वारा के आवेदन दिनांक 07.06.2025 द्वारा प्रकरण में Deemed ईसी ट्रांसफर हेतु निवेदन किया गया। जबकि ईको ऑर्बिट फर्म प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक नहीं है इसके उपरांत भी ईको ऑर्बिट फर्म द्वारा प्रकरण में Deemed ईसी ट्रांसफर हेतु आवेदन किया गया।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त दी गई जानकारी गलत तथा भ्रमित करने वाली सिद्ध होती है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

17. Proposal No.: SIA/MP/MIN/433752/2023, प्रकरण क्र. 10128/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भगवान सिंह आत्मज श्री भवर सिंह राजपूत निवासी मकान न. 39 वार्ड न. -3 मेन रोड राजपूत मोहल्ला कांजा जिला शाजापुर (म0प्र0) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10180 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 1405, 1410 ग्राम कांजा तहसील व जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 739 वीं बैठक दिनांक 23.04.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 880वी बैठक दिनांक 22.04.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 849 वी बैठक दिनांक 14.05.2024 में प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र से 114 मी. एवं 328 मी. पर दो पवन चक्की परिलक्षित हो रही हैं, यद्यपि जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., उज्जैन का पत्र क्रमांक 112 दिनांक 26/02/2024 पत्र अनुसार खनिज स्थल से पवन ऊर्जा टर्बाईन- 079 की दूरी लगभग 300 मीटर एवं 071 की दूरी 600 मीटर है। अतः खदान क्षेत्र से दोनों पवन चक्की की वास्तविक दूरी की स्पष्ट जानकारी म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि., उज्जैन से 15 दिवस में प्राप्त की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS के माध्यम से उपरोक्त जानकारी के संबंध में आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि पवन चक्की से निर्धारित दूरी 300 मीटर छोड़ने के पश्चात् 0.510 हेक्टेयर क्षेत्र खनन हेतु उपलब्ध होता है जिसका उल्लेख अनुमोदित खनन योजना में भी किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावक के आवेदन के परीक्षण उपरांत पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 849वी बैठक दिनांक 14.05.2024 के निर्णयानुसार म.प्र. उर्जा विकास निगम लिमि. शाजापुर से पवन चक्की से निर्धारित दूरी छोड़ने के संबंध में दूरी की स्पष्ट जानकारी अपेक्षित है। अतः उर्जा विकास निगम से स्पष्ट जानकारी एवं अनापत्ति 15 दिवस में प्राप्त किये जाने हेतु जिला अक्षय उर्जा अधिकारी, उर्जा विकास निगम लिमि. शाजापुर को स्मरण पत्र प्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 739 वीं बैठक दिनांक 23.04.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

- (i) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शाजापुर के आदेश क्रमांक 61 दिनांक 18.01.2021 के अनुसार लीज दिनांक 22.11.2016 से दिनांक 21.11.2026 तक स्वीकृत है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.11.2026 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बैरियर जोन को रिस्टोर कर वृक्षारोपण किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाये एवं उक्त कार्य खनिज अधिकारी निगरानी में सुनिश्चित किया जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पवन चक्की से न्यूनतम 300 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा DEIAA की पर्यावरण स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का अनिवार्यतः परिपालन 01 माह में पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन SEIAA को प्रेषित किया जाये।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ मों के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (viii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
 - ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर ओपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

18. प्रस्ताव क. SIA/MP/INFRA2/455244/2023 Case No: P2/11/2024 Shri Akash Shukla, General Manager, M/s. Samdariya Builders (Shahdol) Pvt. Ltd., Hotel Samdariya Inn, Russel Chowk, Napier Town, Jabalpur (M.P.). 482001. Prior Environment Clearance for proposed Shopping Mall in an area of 0.861 ha. (Total Land Area-8126.800 Sq.M., Total Built-up Area-42593.85 Sq.M.) (Khasra No. 141/2, 142), Village-Sohagpur, Tehsil-Sohagpur, District-Shahdol (MP).

प्रकरण में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

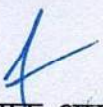
1. प्रस्तावित समदरिया गोलड भोपाल "आवासीय एवं निर्माण वाणिज्यिक परिसर 141/2, 142 ग्राम-सोहागपुर, तहसील-सोहागपुर, जिला-शहडोल राज्य -मध्य प्रदेश में मेसर्स समदरिया बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा विकसित किये जाने हेतु पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना के लिए कुल भूखंड 8610 वर्गमीटर (13.81 एकड़) है। कुलनिर्मित क्षेत्र 42593.85 वर्गमीटर है, जो 1,50,000.00 sq.m.से कम है, इसलिए परियोजना ईआईए अधिसूचना 14 सितंबर 2006 के अनुसार श्रेणी बी, अनुसूची 8(ए) के अंतर्गत शामिल है। प्रस्तावित परियोजना में शोरूम, दुकानें, फूड स्टॉल, होटल मल्टीप्लेक्स आदि शामिल है।

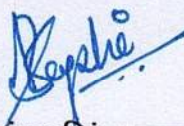
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की बैठक 863-बी दिनांक 10.06.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

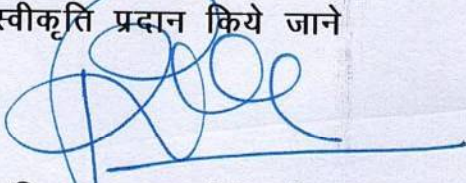
1. मध्य प्रदेश सरकार की पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत समदरिया बिल्डर्स शहडोल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित यह वाणिज्यिक परिसर 141/2, 142 गांधी चौक बुद्धार रोड शहडोल (एमपी) में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का है।
2. परियोजना का कुल प्लॉट क्षेत्र = 8610 वर्ग मीटर, कुल निर्मित क्षेत्र = 42593.85 वर्ग मीटर, है।
3. उक्त प्रकरण हेतु SEAC की 758वीं बैठक दिनांक 27.05.2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई, जिसका कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 149 से 169 तक अंकित है।

उपरोक्त अनुशंसा उपरांत प्रकरण में प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श उपरांत पाया गया कि परियोजना पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत किया जा रहा है परियोजना स्थल पर पूर्व से की कुछ निर्माण किया गए है जैसा की SEAC के बैठक के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है। परियोजना में पेड़ काटा जाना भी प्रस्तावित है जिसके लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमति प्राप्त कर ली गई है। अतः प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया है की परियोजना में ट्रांसप्लान्ट करने एवं वृक्षों के काटने से बचाने सम्बंधित किस प्रकार की योजना प्रस्तावित की गई है उसके स्पष्टीकरण हेतु प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 25.08.2025 के माध्यम से प्रकरण में चाही गई उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

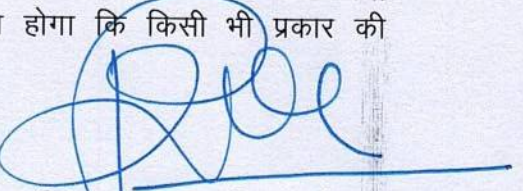
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा एवं पूर्ण विचारोपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य किया जाता है एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 758वी बैठक दिनांक 27.05.2024 की अनुशंसा एवं अधिरोपित विशिष्ट शर्तों को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित बिंदु i से vii विशिष्ट शर्तों एवं मानक शर्तों (परिशिष्ट -1) के साथ परियोजना प्रस्तावक को EIA अधिसूचना 2006 एवं यथासंशोधित के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- परियोजना के जलापूर्ति, ट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्पोजल एवं सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल हेतु नगर निगम से अनुमति प्राप्त कर अनुपालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। अपरिहार्य स्थितियों में भूजल दोहन हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर ही भूजल दोहन किया जाना सुनिश्चित करें।
- परियोजना के तहत भवन के चारों ओर खुले स्थान एवं रोड़ चौड़ाई हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम 2012 (यथा संशोधित) के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- परियोजना स्थल पर अग्निरोधी शमन उपायों का अनिवार्यरूप से क्रियान्वित किया जाना होगा, इन कार्यों में नेशनल बिल्डिंग कोड 2016(यथा संशोधित) के मानक अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
- परियोजना अंतर्गत कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिये 30% गैर पारंपरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाये एवं CO₂ उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपायों पर भी व्यापक कार्य योजना बनाकर इसे कम करने हेतु सभी संभावित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाये।
- परियोजना स्थल के चारों ओर ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाना सुनिश्चित करें। काटे जाने वाले वृक्षों के एवज में 10 गुनी संख्या में वृक्षों का रोपण अनिवार्य रूप से किये जाये।
- परियोजना स्थल पर ई-वाहनों के चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रस्तावित भवन में बेसमेंट भी प्रस्तावित है। इस हेतु संपूर्ण सुरक्षात्मक उपायों का पालन परियोजना प्रस्तावक को करना होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी प्रकार की जन-धन हानि न हो।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

19. Proposal No.: SIA/MP/MIN/404508/2022, प्रकरण क्र. 8492/2021 परियोजना प्रस्तावक श्री बृजेश सोनी आत्मज श्री बाबूलाल सोनी, निवासी छोटी देवी मंदिर के पास, जिला टीकमगढ़ (म0प्र0) द्वारा क्वार्टर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता 15,000 से 3,00,000 टन प्रतिवर्ष, रकबा 12.00 हेक्टेयर, खसरा क्रमांक 993/2 ग्राम दरगवां, तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 839वी बैठक दिनांक 10.06.2024 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रेमाणित करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित होंगे। तबतक प्रकरण Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईमेल दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का पूर्णतः अनुपालन कर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अभिप्रेमाणित करवाकर अनुपालन प्रतिवेदन सहित अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु अनुरोध किया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की समस्त शर्तों का परिपालन किये जाने एवं साक्ष्य प्राधिकरण में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा तबतक प्रकरण Delist यथावत रखा जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 29.08.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए एवं SEAC की 673वी बैठक दिनांक 01.09.2023 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा निष्पादित लीज अनुबंध दिनांक 27.07.2016 के अनुसार उक्त लीज की अवधि 50 वर्ष (दिनांक 22.09.1995 से 21.09.2045 तक) के लिये स्वीकृत प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.09.2045 तक वैध मान्य रहेगी।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले पक्की सड़क से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) खदान पहाड़ क्षेत्र पर होने एवं पहाड़ के नीचे दोनो ओर मानब बसाहट (आबादी) होने के कारण परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन संक्रिया आरंभ करने से पूर्व लीज क्षेत्र के चारो ओर रिटेनिंग वॉल (4 मीटर हाईट) का निर्माण किया जायेगा एवं घना वृक्षारोपण किया जायेगा, इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- (v) क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान (Cluster EMP) का समावेश ई.आई.ए. में किया जाना आवश्यक है। अतः एक Site Specific Cluster EMP को EIA के निष्कर्षों के आधार पर बनाया जाये, जिसे क्रियान्वित करने के लिये क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदान मालिकों की सहमति से एक Environment Cell क गठन किया जाये, जिसमें जिला प्रशासन, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा क्लस्टर की सभी खदानों के प्रतिनिधि शामिल हो। इसी तरह सभी खदान मालिक मिलकर एक समिति का गठन करें, ताकि Cluster EMP के प्रावधानों तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का पालन मिलकर कर सकें। इस समिति को सुचारु रूप से नियमित क्रियान्वित करने के लिये एक रूपरेखा तैयार की जाये, ताकि समिति के गठन तथा उसके क्रियाकलापों में आपसी समन्वय तथा पर्यावरण के कार्यों को सुचारु रूप से क्लस्टर में लागू करने में आसानी हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त के संबंध में संबंधित खदान मालिकों से सहमति लेकर उपरोक्त विषयों पर जिला प्रशासन से समन्वय कर एक माह के अंदर Cluster EMP, समिति के गठन इत्यादि के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं संबंधित जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया जाये।
- (vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत उल्लेखित गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्लस्टर में सम्मिलित समस्त खदानों के परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उक्त राशि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) खातों में जमा की जावे। खनन क्षेत्र के क्षेत्रफल व उत्पादन के आधार पर अनुपातिक राशि का निर्धारण जिलाध्यक्ष के स्तर पर किया जायेगा।
- (vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जिला प्रशासन की निगरानी में खनिज विभाग के समन्वय से जिला स्तरीय अन्य संबंधित विभाग (जैसे वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी, लोक निर्माण विभाग तथा ग्राम पंचायत आदि) के माध्यम से क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियों के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जावे एवं माइनिंग अधिकारी, परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक 06 माह में प्रस्तावित क्लस्टर एन्वायरमेन्ट मैनेजमेंट प्लान का अभिप्राणित अनुपालन प्रतिवेदन तथा राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

- (viii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (ix) परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- (x) परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार के ज्ञापन दिनांक 24.07.2024 में "एक पेड़ माँ के नाम" के अंतर्गत प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत बराबर के हिस्से में जिला स्तर पर जिला प्रशासन एवं वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर उपयुक्त प्रजातियों के वृक्षारोपण (2 मीटर लम्बाई के) हेतु दिये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप वृक्षारोपण 06 माह में पूर्ण किया जाए।
- (xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार 6 मीटर से अधिक गहराई तक खनन करने के पूर्व DGMS की अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी।
- (xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र का सम्पूर्ण ड्रेनेज प्लान इस प्रकार से किया जाये कि विद्यमान खदानों एवं आस-पास के क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था पूर्वानुसार रहे एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व जल प्रवाह व्यवस्था प्रभावित न हो।
- (xiii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण से संबंधित समस्त कार्यों को वन विभाग से समन्वय कर पूर्ण किया जाए।
- (xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसित सीईआर गतिविधियों के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त सीईआर गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-
- ग्राम के शासकीय स्कूल, सामुदायिक भवन एवं सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र में रैनवाटर हार्वैस्टिंग सिस्टम तथा सौर उर्जा इकाई की स्थापना की जाये।
 - खदान क्षेत्र के पास स्थित नजदीकी ग्राम में जिला प्रशासन से समन्वय कर औपन नालियों को पूर्ण रूप से ढका जावेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण**

20. Proposal No.: SIA/MP/MIN/438584/2023, प्रकरण क्र. 9656/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रावत मिनरल्स, प्रो. श्री अकाश रावत, निवासी- पुरानी बस्ती, जलपा देवी वार्ड, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 16854 टन प्रतिवर्ष एवं सेलेबल वेस्ट 6360 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.370 हेक्टेयर, खसरा नं. 116, 117, 118, ग्राम मल्हान, तहसील बडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 686वी बैठक दिनांक 04.10.2023 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण को प्राधिकरण द्वारा 890वी बैठक दिनांक 21.08.2025 में रखते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

" उक्त प्रकरण में प्राधिकरण में 850वी बैठक दिनांक 15.05.2024 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर कटनी की प्रस्तुत कार्यवाही में ना तो प्रकरण क्रमांक एवं दिनांक नहीं है और न ही भू-स्वामियों के हस्ताक्षर है तथा कार्यवाही में भू-स्वामी भूमि का विक्रय नहीं किये जाने का उल्लेख है जबकि प्रस्तुत दस्तावेज में भू-स्वामी का विक्रय पत्र संलग्न है जिसमें राशि का विवरण दिया गया है। चूंकि दोनों ही दस्तावेज विरोधाभाष हैं। अतः कलेक्टर कटनी के समक्ष परियोजना प्रस्तावक एवं भू-स्वामी उपस्थिति होकर भू-स्वामी की सहमति को कलेक्टर कटनी से अभिप्राणित करवाकर एवं सही जानकारी सहित प्रस्तुत करें। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 03.06.2024 के माध्यम से पूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण द्वारा चाही गई उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की गई है ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई है। अतः उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर 15 दिवस में अपलोड की जाये इसके उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन ADS दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में परीक्षण के दौरान निम्नानुसार पाया गया :-

1. टीओर के बिन्दु 21 में उल्लेख किया गया कि भूमि शासकीय है जबकि संलग्न खसरा अनुसार निजी भूमि है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा गलत जानकारी दी गई है।
2. ईआईए रिपोर्ट के सेक्शन 4.6, 4.6.3, 9.1, 10.4.3, 10.4.6, 11.1 इत्यादि में खनिज का नाम स्टोन क्वैरी दर्शाया गया है जबकि प्रस्तावित खदान डोलोमाईट मिनरल्स की है, उक्त बिन्दुओं में डोलोमाईट की उत्पादन क्षमता एवं सेलेबल वेस्ट की उत्पादन क्षमता भी समान दर्शायी गई है जो विरोधाभाषी एवं गलत जानकारी है।

(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव

(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य

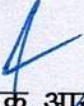
(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष

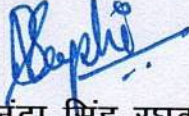
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 904वी बैठक दिनांक
27.10.2025 का कार्यवाही विवरण

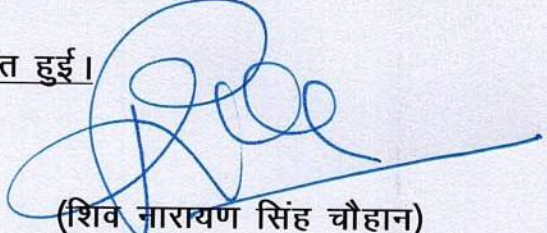
3. ईआईए रिपोर्ट के सेक्शन 10.5.2 में कुल 36 पेड़ों का उल्लेख किया गया है और बताया गया कि इनमें से 16 पेड़ों को काटा जायेगा जबकि ऑनलाईन आवेदन के पार्ट-बी में कुल 10 पेड़ों के काटे जाने का उल्लेख है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत विरोधाभासी एवं गलत तथा भ्रमित करने वाली सिद्ध होती है। अतः प्रकरण निरस्त किये जाने से पूर्व अभिमत प्राप्त किये जाने हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

अंत में बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।


(दीपक आर्य)
सदस्य सचिव


(डॉ. सुनंदा सिंह रघुवंशी)
सदस्य


(शिव नारायण सिंह चौहान)
अध्यक्ष